महत्वपूर्ण

पत्रांक 3181 / आयु0क0उत्तरा0 / वाणि0कर / विधि–अनुभाग / 2014–15

कार्यालय आयुक्त कर,उत्तराखण्ड
(विधि–अनुभाग)
दिनांक::देहरादून : 15, अक्टूबर, 2014

समस्त डिप्टी कमिश्नर वाणिज्य कर /
असिस्टेन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर /
वाणिज्य कर अधिकारी, उत्तराखण्ड।

उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (5) एवं उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या 156 / 2013 / 09(120) / XXVII(8) / 2011 दिनांक 11 फरवरी 2013 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत उत्तराखण्ड के बाहर से ट्रेडिंग हेतु आयरन एण्ड स्टील का आयात करने वाले पंजीकृत व्यापारियों के लिये राजस्व हित में यह आवश्यक हो गया है कि उनके द्वारा आयात के लिये घोषणा पत्र की मांग करने पर धारा–20(5) के अन्तर्गत नकद जमानत जमा कराने के बाद ही आयात घोषणा पत्र जारी किये जाएं। इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुये आयरन एण्ड स्टील को प्रचलित थोक बाजार भाव के आधार पर निम्न चार श्रेणियों में विभाजित किया जाता है:–

1– (प्रथम श्रेणी) पिग आयरन, स्पंज आयरन, कास्ट आयरन एवं विभिन्न प्रकार के आयरन स्क्रैप।

2 - (द्वितीय श्रेणी) इंगट, ब्लूम, बिलेट, स्लेब, स्टील सेमीज।

3– (तृतीय श्रेणी) स्टील बार (राउण्ड, रॉड, स्क्वायर, फ्लेट, ऑक्टागन, हेक्यागन प्लेन एण्ड रिब्ड अथवा ट्विस्टेड), एंगिल, ज्वायरट, चैनल, टीज, जेड सेक्शन।

4 (चतुर्थ श्रेणी) वायर, स्टील ट्यूब, शीट्स एवं स्ट्रिप्स (ब्लैक एण्ड गेलवनाइज्ड, हॉट एण्ड कोल्ड रोल्ड, प्लेन अथवा कारोगेटेड) एवं अन्य प्रकार के केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम की धारा–14 में वर्णित आयरन एवं स्टील जिसमें टूल, एलॉय एवं स्पेशल स्टील, व्हील्स एवं एक्सेल शामिल नहीं है।

उपरोक्त वर्गीकरण के आधार पर वर्तमान प्रथम श्रेणी में वर्गीकृत वस्तुओं का प्रति टन औसत थोक मूल्य 25,000 / –, द्वितीय श्रेणी में वर्गीकृत वस्तुओं का प्रति टन औसत थोक मूल्य 35,000 / –, तृतीय श्रेणी में वर्गीकृत वस्तुओं का प्रति टन औसत थोक मूल्य 40,000 / – एवं चतुर्थ श्रेणी में वर्गीकृत वस्तुओं का प्रतिटन औसत थोक मूल्य 48,000 / – होने की जानकारी मिली है।

अतः धारा–20(5) के अन्तर्गत यह आदेश दिया जाता है कि आयरन एवं स्टील के ट्रेडर द्वारा प्रान्त बाहर से उपरोक्त श्रेणी के आयरन एवं स्टील के आयात के लिये आयात घोषणा पत्र की मांग करने पर निम्न प्रकार जमानत जमा करने के बाद ही आयात घोषणा पत्र जारी किया जाए।

parivad

1 पिग आयरन, स्पंज आयरन, कास्ट आयरन एवं विभिन्न प्रकार के आयरन स्क्रैप। (प्रथम श्रेणी)

1250/- प्रति मी0 टन

2 इंगट, ब्लूम, बिलेट, स्लेब, स्टील सेमीज। (द्वितीय श्रेणी)

1750/– प्रति मी0 टन

3– स्टील बार (राउण्ड, रॉड, स्क्वायर, फ्लेट, ऑक्टागन, हेक्यागन प्लेन एण्ड रिब्ड अथवा ट्विस्टेड), एंगिल, ज्वायस्ट, चैनल, टीज, जेड सेक्शन। (तृतीय श्रेणी)

2000/– प्रति मी0 टन

4– वायर, स्टील ट्यूब, शीट्स एवं स्ट्रिप्स (ब्लैक एण्ड गेलवनाइज्ड, हॉट एण्ड कोल्ड रोल्ड, प्लेन अथवा कारोगेटेड) एवं अन्य प्रकार के केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम की धारा–14 में वर्णित आयरन एवं स्टील जिसमें टूल, एलॉय एवं स्पेशल स्टील, व्हील्स एवं एक्सेल शामिल नहीं है। (चतुर्थ श्रेणी)

2400/- प्रति मी0 टन

माल का वजन पूरे–पूरे टनों में न होने पर भी जमानत राशि की गणना पूर्णांकों में की जाएगी। जैसे 94 कुन्तल माल के आयात के लिये भी 100 कुन्तल (10 टन) माल के लिये देय जमानत ली जाएगी।

इस आदेश के मुख्य बिन्दु एवं उनके कियान्वयन हेतु अपनाये जाने वाली प्रकिया निम्न प्रकार है: -

1– इस परिपत्र के जारी होने की तिथि से कर–निर्धारण अधिकारी केवल जमानत प्राप्त करके ही फॉर्म–16 जारी करेंगे। यद्यपि पूर्व में जारी घोषणा पत्रों के आधार पर भी उपरोक्त वर्णित विभिन्न श्रेणियों के आयरन एवं स्टील का आयात दि0 30.10.2014 तक किया जा सकेगा, परन्तु दिनांक 30.10.2014 के बाद आयात केवल ऐसे आयात घोषणा पत्रों से ही किया जा सकेगा, जिन्हें नगद जमानत जमा करके प्राप्त किया गया हो। इसी क्रम में इस समय जो भी आयात–घोषणा पत्र आयातकर्ता ट्रेड़र्स के पास अवशेष हों, उन्हें उनके सम्बन्धित कर–निर्धारण अधिकारी दिनांक 30.10.2014 को ब्लॉक कर देंगे। साथ ही आयातकर्ता ट्रेड़र्स स्वयं भी अपने अवशेष फॉर्म कार्यालय को वापस करते हुये उपरोक्तानुसार जमानत जमा करके पुनः आयात घोषणा पत्र प्राप्त कर लेंगे।

2– इस समय जो भी आयात घोषणा पत्र माल भेजने वालों के पास हों या मार्ग में हों उन्हें भी वापस मंगाकर व्यापार कर कार्यालयों को वापस करते हुये नगद जमानत जमा कर पुनः फॉर्म प्राप्त कर लिये जाएं।

parivad

3– नगद जमानत जमा होने पर जारी आयात घोषणा पत्रों में इस आशय की मोहर लगायी जाएगी कि किस श्रेणी के कितने टन (शब्दों में) माल के आयात के लिये आयात घोषणा पत्र जारी किया जा रहा है। निर्देशित किया जाता है कि उक्त चारों श्रेणियों के लिये अलग–अलग दो प्रकार की मोहरें बनायी जायें। मोहर बोल्ड अक्षरों में बनवायी जाये। प्रथम प्रकार की मोहर का प्रारूप निम्न प्रकार है जिसे मुखपृष्ठ पर लगाया जाएगा:–

केवल.....मी0टन प्रथम श्रेणी के आयरन स्टील के आयात के लिये।

केवल.....मी0टन द्वितीय श्रेणी के आयरन स्टील के आयात के लिये।

केवल.....मी0टन तृतीय श्रेणी के आयरन स्टील के आयात के लिये।

केवल.....मी0टन चतुर्थ श्रेणी के आयरन स्टील के आयात के लिये।

कर निर्धारण अधिकारी प्रत्येक श्रेणी के माल के विवरण की भी एक–एक मोहर बनाएंगे तथा जिस श्रेणी हेतु फॉर्म जारी किया गया है उससे सम्बन्धित मोहर फॉर्म के पृष्ठ भाग में लगायेंगे।

4– दिनांक 30.10.2014 के पश्चात बिना जमानत जमा आयात घोषणा–पत्रों से माल आने पर, यदि ऐसे फॉर्म के आधार पर ट्रिपशीट बनायी जा चुकी है, तब ऐसे मामलों में सचलदल अधिकारी डिटेन्शन मीमो जारी करेंगे तथा इन्वाइस पर घोषित माल के मूल्य अथवा माल के घोषित वजन के अनुसार इस परिपत्र में श्रेणी वार दिये गये मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित मूल्य, दोनों में जो अधिक हो, का 5 प्रतिशत जमानत लेकर माल अवमुक्त करेंगे।

5– यदि जारी आयात घोषणा पत्र में अनुमन्य मात्रा से अधिक मात्रा या आयरन एण्ड स्टील आयात किया जा रहा हो, तथा समस्त माल को श्रेणी सहित ट्रिप शीट में घोषित किया गया हो तो ऐसी स्थिति में सचल दल अधिकारी द्वारा वाहन रोककर डिटेन्शन मीमो जारी किया जायेगा एवं आयात किये जा रहे माल पर श्रेणी के अनुसार कुल जमानत की गणना कर, फार्म प्राप्त करते समय वास्तव में जमा हुई धनराशि के अन्तर के बराबर अग्रिम कर के रूप में जमानत जमा कराकर माल को जाने देंगे। इस प्रकार जमा कराई गई जमानत का लाभ आयात कर्ता को पुनः फार्म–16 प्राप्त करते समय/कर निर्धारण के समय रसीद प्रस्तुत करने पर या सचल दल से उक्त रिपोर्ट प्राप्त होने पर जमा कर के रूप में दिया जायेगा। इस प्रकार जमा कराई गई जमानत पर अर्थदण्ड की कार्यवाही नहीं की जाएगी।

ऐसे मामलों में यदि सचल दल अधिकारी द्वारा कोई जमानत जमा नहीं कराई गई है, तो कर निर्धारण अधिकारी अगली बार आयात घोषणा पत्र जारी किये जाने से पूर्व आयातित माल पर जमानत की गणना कर, शेष धनराशि (पूर्व में जमा धनराशि से कम होने की स्थिति में) धनराशि जमा करायेंगे।

6– रेल द्वारा आयात करने वाले ऐसे व्यापारियों को भी उपरोक्त प्रकार से जमानत जमा करके प्राप्त आयात घोषणा–पत्रों से ही माल का आयात करना होगा।

parivad

7– प्रत्येक बार फॉर्म–16 प्राप्त करते समय उस समय तक के वास्तविक आयात, जमानत राशि से समायोजन आदि का विवरण उस समय तक प्रयुक्त फॉर्म 16 की मूल प्रतियों सहित कर–निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।

8– उक्त प्रकार से आयात घोषणा पत्र प्राप्त करते समय जमा करायी गई जमानत की धनराशि का समायोजन व्यापारी द्वारा नियमित नक्शों में घोषित टर्नओवर पर देयकर/निर्धारित कर के विरुद्ध किया जायेगा। किन्तु यदि व्यापारी द्वारा नक्शों में कोई बिक्री/स्टॉक ट्रांसफर किसी फार्म यथा फॉर्म एफ, एच, सी या 11/प्रमाण पत्र के विरुद्ध करते हुये देय कर में छूट का दावा किया जाता है, ऐसे मामलों में उस बिक्री/स्टॉक ट्रांसफर पर छूट के दावे की राशि के बराबर की धनराशि के समायोजन का लाभ, इस बिक्री के दावे के सम्बन्ध में प्रस्तुत किए गए फॉर्म/प्रमाण पत्र का सत्यापन हो जाने के बाद दिया जाएगा।

9– उक्त प्रकार के मामलों में कर निर्धारण अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वे व्यापारी द्वारा प्रस्तुत किये गये फार्म/प्रमाण पत्र को कार्यालय में प्रस्तुत करने के एक सप्ताह के अन्तर्गत सम्बन्धित कर निर्धारण अधिकारी को प्रेषित करेंगे। जिन फार्म/प्रमाण पत्र का सत्यापन उत्तराखण्ड राज्य से ही होना है उनमें सम्बन्धित कर निर्धारण अधिकारी सूचना प्राप्त होने के एक सप्ताह के अन्तर्गत सत्यापन कर सूचना प्रेषित करेंगे। अन्य राज्यों को प्रेषित सूचना में यदि 15 दिनों तक कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है तो इस सम्बन्ध में अनुस्मारक प्रेषित किया जाएगा। परन्तु एक माह के भीतर सत्यापन की सूचना प्राप्त न होने पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा असत्यापित फार्मों/प्रमाण पत्रों की सूची एडीशनल कमिश्नर, जोन को प्रेषित की जायेगी तथा जोनल एडीशनल कमिश्नर द्वारा किसी अधिकारी को सम्बन्धित राज्य में भेजते हुये सत्यापन का कार्य, सूची प्राप्त होने के एक माह में पूर्ण कराया जायेगा।

यह परिपत्र जारी करने की तिथि से प्रभावी होगा। उपरोक्त निर्देशों का शत–प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

(दिलीप जावलकर)
आयुक्त कर,
उत्तराखण्ड।

पृ0पं0सं0 /दिनांक ।

प्रतिलिपि :– निम्न को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– समस्त एडिशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तराखण्ड।
2– ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्य0) देहरादून/हरिद्वार/काशीपुर/हल्द्वानी।
3– ज्वाइन्ट कमिश्नर (वि0अनु0शा0/प्र0) गढ़वाल जोन, हरिद्वार/कुमांउं जोन, रूद्रपुर।

आयुक्त कर,
उत्तराखंड।

parivad